भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1300
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्बुलेंस सेवा वित्तपोषण हेतु योजना

1300. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवाओं के वित्तपोषण हेतु कोई योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु को कितनी सामान्य और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं; और
(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एम्बुलेंस सेवा के वित्तपोषण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राज्यों को जनसंख्या मानदंडों अर्थात क्रमशः 5 लाख और 1 लाख की आबादी के लिए एक-एक एम्बुलेंस के आधार पर एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस के लिए वित्तपोषण किया जाता है। एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के लिए वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मूल्यांकन राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बजट प्रस्तावित करने की छूट प्राप्त है।

(ख): राज्य के पीआईपी प्रस्ताव के अनुसार, एनएचएम के तहत राज्य को सामान्य परिचर्या (बीएलएस) और क्रिटिकल केयर (एएलएस) एम्बुलेंस के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान परिचालनात्मक लागत के रूप में तमिलनाडु को जिन एम्बुलेंसों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	एएलएस एम्बुलेंस की संख्या	बीएलएस एम्बुलेंस की संख्या
2020-21	62	880
2021-22	121	1032
2022-23	300	1218

(ग): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं को सहायता प्रदान करता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी द्वारा आवश्यकता में वृद्धि के कारण एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने के लिए, रोगी परिवहन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोविड अनुक्रिया पैकेज II (ईसीआरपी II) के तहत राज्यों के लिए एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया था।

*****